

20.03.2025:—पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी का मूल
वादी पत्र अदम हाजरी हो गया। मूल वाद पत्र
अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212
आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती।
मूल वादपत्र अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थी
का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.
ए. मे स्थगन आदेश दिनांक 26.03.20263 को
वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

h/2